राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम

कंपनी मामले विभाग

सं.कं.मा.-सी बी सी व आचार नीति/2015-16 दि.31 मार्च, 2016

परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नीति का कार्यान्वयन|

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा पूर्व में जारी निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के निदेशक मंडल ने दि.13 नवंबर, 2007 को आयोजित अपनी 230वीं बैठक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन हेतु व्यापार आचार संहिता एवं नीति को अनुमोदित किया| इसे अब मई, 2010 से सभी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनिवार्य बना दिया गया|

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन (अर्थात् ई-7 स्तर (विभागाध्यक्षों) और उससे ऊपर) को वार्षिक आधार पर व्यापार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करना होगा|

उपरोक्त दिशानिर्देशों की एक प्रति शीघ्र संदर्भ हेतु www.vspsite.org में कंपनी मामले के पोर्टल पर उपलब्ध है|

आपसे अनुरोध है कि आप कृपया संलग्न **(अनुलग्नक)** प्रपत्र के अनुसार अनुपालन की पुष्टि दें और इसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यथाशीघ्र, याने **30 अप्रैल, 2016** से पहले अधोहस्ताक्षरी को भेजने की व्यवस्था करें|

(दीपक आचार्य)
सहायक महाप्रबंधक (कंपनी मामले) व
कंपनी सचिव

संलग्न: यथोपरि

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण व नैतिक संहिता के दिशानिर्देश

1.0 परिचय

1.1 यह संहिता 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आगे से 'कंपनी' के रूप में जाना जाएगा) के मंडल सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्यापार आचरण व नैतिक संहिता' मानी जाएगी|

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्यकलापों के निर्वाह में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाना है|

1.3 यह संहिता मंडल के सदस्यों और प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, विशेष रूप से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु बनायी गयी है|

1.4 यह संहिता मूल रूप से बनाई गई और दि.13 नवंबर, 2007 से लागू की गई तथा परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में संशोधित की गई|

2.0 परिभाषा व व्याख्या

2.1 'मंडल के सदस्यों' से कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक अभिप्रेत हैं|

2.2 'पूर्णकालिक निदेशकों' अथवा 'कार्यकारी निदेशकों' से कंपनी के निदेशक मंडल के वे निदेशक अभिप्रेत हैं, जो कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त हैं|

2.3 'अंशकालिक निदेशकों' से कंपनी के निदेशक मंडल के वे निदेशक अभिप्रेत हैं, जो कंपनी में पूर्णकालिक रूप से नियुक्त नहीं हैं|

2.4 'स्वतंत्र निदेशकों' से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं अनुसूचीबद्ध करार (समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुरूप 'स्वतंत्र निदेशक' अभिप्रेत हैं|

2.5 'संबंधी' शब्द से कंपनी (परिभाषा विवरण के विशेष विवरण) नियम, 2014 (परिशिष्ट-1 देखें) के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (77) में परिभाषित वही अर्थ अभिप्रेत है|

2.6 'प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों' से कंपनी के मंडल सदस्यों को छोड़कर ई-9, ई-8 श्रेणियों के सभी कार्यपालक और ई-7 श्रेणी के विभागाध्यक्षों के साथ मूल प्रबंधन के सदस्य अभिप्रेत हैं|

2.7 'कंपनी' शब्द से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अभिप्रेत है|

नोट: इस संहिता में पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग शामिल है और एकवचन के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन के अंतर्गत एकवचन भी शामिल हैं|

3.0 **प्रयोज्यता**

3.1 यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए लागू होगी :

क) कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी पूर्णकालिक निदेशक

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन स्वतंत्र निदेशकों के साथ-साथ सभी अंशकालिक निदेशक

ग) प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी

3.2 पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों को कंपनी में लागू अन्य/लागू होनेवाली नीतियों, नियमों व पद्धतियों का अनुपालन जारी रखना होगा|

4.0 संहिता का अनुक्रम

भाग-1 सामान्य नैतिक विधियाँ

भाग-2 विशिष्ट व्यावसायिक दायित्व

भाग-3 मंडल के सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

व्यावसायिक कार्य संचालन में नैतिक निर्णय लेने हेतु आधार का काम करना इस संहिता का अभिप्राय है| व्यावसायिक नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत के गुणदोष का निर्णय लेने में एक आधार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है|

यह माना गया है कि नैतिक संहिता और आचरण के कागजात में कुछ शब्दों और पदबंधों की व्याख्याओं में अंतर है| किसी विवाद के मामले में, मंडल का निर्णय अंतिम होगा|

भाग-1

5.0 सामान्य नैतिक विधियाँ

5.1 समाज एवं मानव कल्याण हेतु सहयोग दें

5.1.1 सभी लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन से संबंधित यह सिद्धांत, लोगों के मौलिक अधिकारों एवं सभी संस्कृतियों की विविधता की रक्षा का दायित्व सुनिश्चित करता है| हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के परिणाम से दायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह हो, सामाजिक जरूरतों की पूर्ति हो और लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण को कोई नुकसान न पहुँचे| सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त, मानव कल्याण से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित होता है|

5.1.2 अत:, कंपनी के उत्पादों के अभिकल्प, विकास, विनिर्माण एवं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार मंडल के सभी सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों को मानव जीवन और पर्यावरण संरक्षण के कानूनी तथा नैतिक दायित्व, दोनों के प्रति सजग एवं जागरूक रहना चाहिए|

5.2 <u>ईमानदार एवं विश्वसनीय बनें और सत्यनिष्ठा का पालन करें</u>

5.2.1 सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण तत्व हैं| विश्वास के बिना कोई संगठन प्रभावी ढंग से चल नहीं सकता|

5.2.2 कंपनी का काम करते समय, मंडल के सभी सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों से वैयक्तिक व व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं नैतिक आचरण के उच्च मानकों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है|

5.3 <u>निष्पक्ष रहें और भेदभाव के विरुद्ध कार्रवाई करें</u>

5.3.1 समानता, सहिष्णुता, दूसरों के सम्मान, और समान न्याय के सिद्धांतों से यह संहिता संचालित होती है| जाति, लिंग, धर्म, कुल, उम्र, निर्योग्यता, राष्ट्रीय मूल बिंदु अथवा ऐसे अन्य घटकों से स्पष्टत: इस संहिता का उल्लंघन होता है|

5.4 <u>गोपनीयता का ध्यान रखें</u>

5.4.1 विश्वसनीयता के सिद्धांत से सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित होती है| जब तक कानूनी तौर पर अथवा इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन ऐसे दायित्वों का निर्वाह आवश्यक न हो, तब तक सभी अंशधारकों के लिए गोपनीयता के सभी दायित्वों का आदर हमारा नैतिक धर्म होगा|

5.4.2 अत:, मंडल के सभी सदस्य एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारी कंपनी के व्यापार एवं कार्यकलापों के बारे में सभी अप्रकाशित जानकारियों की गोपनीयता को बनाये रखें|

5.5 **<u>शपथ व अभ्यास</u>**

5.5.1 सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में समग्रता एवं पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करें|

5.5.2 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयास करें|

5.5.3 सतर्क रहें और कंपनी के विकास एवं प्रतिष्ठा हेतु काम करें|

5.5.4 संगठन का नाम रोशन करें और कंपनी के अंशधारकों को मूल्य आधारित सेवाएँ प्रदान करें|

5.5.5 किसी भय अथवा पक्षपात की भावना के बिना ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वाह करें|

भाग-II

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक दायित्व

प्रति दिन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की दृष्टि, लक्ष्य एवं मूल्यों पर अमल करें| शीघ्र संदर्भ के लिए इन्हें नीचे दिया गया है :

दृष्टि

देश में समुद्र तट पर अवस्थित एकमात्र बृहदतम एवं अत्यंत सक्षम इस्पात उत्पादक बनना|

उद्देश्य

- कारोबार और सकल मार्जिन के अनुपात में 10% से अधिक प्राप्त करना
- 2017-18 तक फिनिशिंग मिल के 7.3 मिलियन टन क्षमता के साथ आमेलन एवं उसके प्रवर्तन की योजना
- 2017-18 तक नये व पुनर्निर्मित इकाइयों से निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करना
- क्षेत्र विशेष एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों के साथ बाजार पर पकड़ बनाना
- खदानों के अधिग्रहण एवं विदेश में विपणन तंत्र की स्थापना के माध्यम से वैश्विक प्रचालन
- भीलवाडा खदानों के प्रचालन, पेल्लेटाइजेशन संयंत्र, डी आर आई-ई ए एफ इकाई, व्हील व एक्सल संयंत्र की स्थापना के माध्यम से विविध उत्पाद बनाना
- कौशल का पोषण और नेतृत्व विकास के माध्यम से उच्च निष्पादन एवं सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाना
- पर्यावरण और अपने परित: समुदायों के साथ सद्भावनापूर्ण विकास

प्रमुख मूल्य

I	पहल	:	आत्म संचालित एवं कार्योन्मुख दृष्टिकोण अपनायें
D	निर्णय क्षमता	:	शीघ्र और स्पष्ट निर्णय लें
E	नैतिकता	:	व्यावसायिक व नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ता बरतें
A	उत्तरदायित्व	:	कार्य के प्रति उत्तरदायी बनें
L	नेतृत्व	:	आदर्श के साथ अग्रणी बने रहें
S	गति	:	प्रत्येक कार्य का तत्परता व दक्षता से निर्वाह करें

6.1 व्यावसायिक कार्य के निर्वाह एवं निष्पादन में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावकारिता एवं ओजस्विता हासिल करने हेतु प्रयास करना :

किसी भी व्यापारी के लिए उत्कृष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है| अत: प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावकारिता एवं ओजस्विता हासिल करने का प्रयास करना चाहिए|

6.2 व्यावसायिक सक्षमता हासिल करना तथा उसे बनाये रखना

उत्कृष्टता, व्यावसायिक सक्षमता हासिल करने तथा बनाये रखने की जिम्मेदारी ग्रहण करनेवाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है|

अत:, सभी से सक्षमता के उपयुक्त स्तरों के लिए मानक स्थापित करने में प्रतिभागिता तथा उन मानकों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास की अपेक्षा की जाती है|

6.3 <u>कानूनों का अनुपालन</u>

कंपनी के मंडल के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों को विद्यमान स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय, एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रायोज्य सभी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा| उन्हें कंपनी के व्यापार से संबंधित नीतियों, पद्धतियों, नियमों व विनियमों का पालन भी करना होगा|

6.4 <u>उपयुक्त व्यावसायिक समीक्षा को स्वीकार करना तथा उपलब्ध करना</u>

गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक समीक्षा व टिप्पणियों पर निर्भर रहता है| जब भी उचित हो, वैयक्तिक सदस्य अपने कार्य हेतु समकक्ष समीक्षा का उपयोग करेंगे और अपने कार्य की महत्वपूर्ण समीक्षा उपलब्ध करायेंगे|

6.5 <u>कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं संसाधन जुटाना</u>

अपने सहकर्मियों के कार्य के उत्कृष्ट निष्पादन में सहयोग पहुँचाने हेतु कार्य और व्यापार का प्रेरक वातावरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संगठन के नेताओं की है| मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, सभी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने, कंपनी में कर्मचारियों को सभी प्रकार से आवश्यक सहायता व सहयोग उपलब्ध कराते हुए उनके वृत्तिपरक विकास हेतु प्रोत्साहन व समर्थन देने के लिए बाध्य हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हो|

6.6 <u>सच्चाई का पालन करें और प्रलोभनों से दूर रहें</u>

मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को कंपनी के लेन-देन में, अपने परिवार अथवा किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई वैयक्तिक शुल्क, कमीशन अथवा कोई प्रतिदान नहीं लेना है| इसमें पुरस्कार अथवा विशेष मूल्य के अन्य लाभ भी शामिल हैं, जो संगठन के व्यापार को प्रभावित करने अथवा किसी अभिकरण को ठेका देने, आदि के लिए समय-समय पर बढ़ाये जाते हैं|

6.7 <u>निगमित अनुशासन का पालन करें</u>

कंपनी में संप्रेषण प्रणाली सख्त नहीं है और कर्मचारी सभी स्तरों पर आपस में विचारों के आदान-प्रदान की स्वतंत्रता रखते हैं| यद्यपि, कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचारों के आदान-प्रदान की स्वतंत्रता है, लेकिन एक बार विचार-विमर्श समाप्त हो गया और कोई नीति निर्धारित की गयी, तो कुछ मामलों में यदि लिये गये निर्णय से कोई वैयक्तिक रूप से सहमत न हो, तब भी सभी से उसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है| कुछ मामलों में नीतियाँ कार्रवाई के दिशानिर्देश के रूप में, कुछ मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने का काम करती हैं| सभी को इनके अंतर को पहचानने तथा इनके अनुपालन की जरूरत पर ध्यान देना चाहिए|

6.8 <u>संचालन इस तरह किया जाय, जिससे कंपनी की साख बढ़े</u>

सभी से कार्यावधि के भीतर और बाहर ऐसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, जिससे कंपनी की साख बढ़े| उनके वैयक्तिक दृष्टिकोण व व्यवहार तथा संगठन एवं बड़ी संख्या में जनता जिस प्रकार उसे ग्रहण कर रहा हो, उस पर कंपनी का स्थायित्व आधारित होता है|

6.9 <u>कंपनी के अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी रहें</u>

हम सब जिनकी सेवा करते हों, चाहे हमारे ग्राहक हों, जिनके बिना कंपनी व्यापार में खड़ी नहीं हो पाती; चाहे अंशधारक हों, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदारी रखते हों; चाहे कर्मचारी हों, जिनका निहित स्वार्थ कंपनी को विकास के पथ पर ले जाने में हो; क्रेता, जो समय पर

कंपनी की सेवाएँ समाज तक पहुँचाने में सहयोग देते हों और कंपनी अपने कार्यकलापों के लिए जिनके प्रति उत्तरदायी हो - वे सब कंपनी के अंशधारक हैं| अत:, सभी को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वे कंपनी के अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं|

6.10 <u>अंतरंग व्यापार की रोकथाम</u>

मंडल के सदस्य और प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारी, आंतरिक पद्धतियों की संहिता का अनुपालन करें और कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में काम करते समय अंतरंग व्यापार की रोकथाम का प्रयास करें|

6.11 <u>व्यापार संबंधी खतरों को पहचानें, हल निकालें तथा उन्हें निपटायें</u>

कंपनी के कार्य अथवा प्रचालन क्षेत्र को प्रभावित करनेवाले व्यापार संबंधी खतरों को पहचानकर ऐसे खतरों के समाधान हेतु सहयोग देना प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है, जिससे कंपनी अपने व्यापक व्यापार उद्देश्य को प्राप्त कर सके|

6.12 <u>कंपनी की संपत्तियों को बचायें</u>

मंडल के सदस्य और प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारी, कंपनी की परिसंपत्तियों, जिनमें कंपनी की वस्तुगत परिसंपत्तियाँ, जानकारी एवं कंपनी के बौद्धिक अधिकार शामिल हों, उनके परिरक्षण का प्रयास करें और अपने वैयक्तिक लाभों के लिए उनका उपयोग न करें|

<u>भाग-III</u>

7.0 <u>मंडल के सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान</u>

7.1 मंडल के सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के रूप में, मंडल तथा जिन समितियों को वे सेवा पहुँचाते हों, उनकी बैठकों में सक्रिय रूप से उन्हें भाग लेना होगा|

7.2 <u>मंडल सदस्यों के रूप में</u>

7.2.1 मंडल से बाहर उनके पदों, अन्य व्यापार तथा अन्य कार्यक्रमों/स्थितियों/हालातों से उनके संबंध में कोई परिवर्तन हो तो, उसकी सूचना कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव को देनी होगी, क्योंकि मंडल/मंडल समिति के दायित्वों के निर्वाह अथवा मंडल के निर्णय पर इसका प्रभाव पड़ सकता है अथवा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीबद्ध करार एवं सार्वजनिक उद्यमों के दिशानिर्देशों की स्वतंत्र आवश्यकताओं की पूर्ति में उनके निष्पादन के संबंध में मंडल के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है|

7.2.2 मंडल के तटस्थ सदस्यों के पूर्व अनुमोदन के बिना वे अपनी अभिरुचि के किसी प्रत्यक्ष विवाद को उठने नहीं देंगे| अभिरुचि का विवाद उठ सकता है, जब वे कोई वैयक्तिक अभिरुचि रखते हों, जो कंपनी के हित में विधिपरक विवाद हो| संक्षेप में ऐसे मामले इस प्रकार के हो सकते हैं :

संबद्ध पार्टी लेनदेन : कंपनी या सहायक कंपनियों के साथ किसी लेनदेन में हस्तक्षेप करना या संबंध रखना, जिससे उनका वित्तीय या अन्य वैयक्तिक हित जुड़ा हुआ हो (परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी संबंधी अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखना, जिससे वे जुड़े हों)|

अन्यत्र निदेशक बनना : कंपनी के व्यापार के साथ प्रतिस्पर्द्धा में लगी किसी अन्य कंपनी के मंडल में निदेशक का पद ग्रहण करना|

परामर्शदात्री/व्यापार/नियुक्ति: किसी भी गतिविधि (चाहे परामर्शदात्री सेवा प्रदान करना हो, व्यापार करना हो, नियुक्ति स्वीकार करना हो) में शामिल होना, जिससे कंपनी में उनके दायित्वों/जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप अथवा विवाद उठने की संभावना हो| उन्हें किसी आपूर्तिकार, सेवा प्रदाता अथवा कंपनी के किसी ग्राहक के साथ निवेश अथवा नहीं जुड़ना चाहिए|

व्यक्तिगत हितों के लिए ओहदों का उपयोग : अपने व्यक्तिगत हितों के लिए ओहदे का लाभ नहीं उठाना चाहिए|

7.3 **<u>निदेशकों के दायित्व</u>**:

कंपनी अधिनियम, 2013 में विशिष्ट रूप से सूचितानुसार कंपनी के निदेशकगण को नीचे दिए गए अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों का अनुपालन करना चाहिए| हालाँकि, इन्हीं को व्यापक न माना जाय:

- निदेशकों को निर्धारित एवं संतुलित निर्णय लेने के लिए व्यावसायिक दायित्व निभाने हेतु पर्याप्त समय तथा चौकसी बरतना होगा|
- निदेशकों को कंपनी के अंतर्नियमों का अनुपालन करना चाहिए और समग्र रूप से इसके सदस्यों के लाभार्थ एवं कंपनी, इसके कर्मचारियों, अंशधारकों, समुदाय के हित और पर्यावरण के संरक्षण हेतु कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ती के क्रम में दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना होगा|
- निदेशकगण को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों, क्षमताओं तथा सामर्थ्य एवं विविध नीतियों को सुस्पष्ट रूप से समझना होगा|
- निदेशकगण को अपने दायित्वों को उपयुक्त सावधानी, कौशल एवं कर्मठता के साथ निभाना होगा|
- निदेशकगण को खासकर नीतिगत, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, महत्वपूर्ण नियुक्तियों और आचरण मानक से संबंधित मामलों पर मंडल के विचार-विमर्श के अनुपालन हेतु तथा मंडल व प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन में आशय प्राप्ति के दृष्टिगत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना होगा|
- निदेशकगण को वित्तीय जानकारी की सत्यनिष्ठा और सुदृढ व समर्थनीय वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रणालियों को सुनिश्चित करना होगा|
- निदेशकगण को उपयुक्त स्पष्टीकरण या अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना होगा और आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त व्यावसायिक सलाह भी लेते हुए उसका अनुपालन करना होगा|
- निदेशकगण, निदेशक मंडल और इसकी समितियों की, जिसमें वे अध्यक्ष्य या सदस्य हो, सभी सामान्य बैठकों में निष्ठापूर्वक व सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रयास करें|
- निदेशकगण कंपनी के अपने निदेशकालय को अन्य व्यक्तियों के उपयोग की अनुमति न दें|
- निदेशकगण को सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुमोदन के पूर्व पर्याप्त

विचार-विमर्श किया गया और उन्हें खुद आश्वस्त होना होगा कि वह कंपनी के हित में है|

- निदेशकगण को ऐसे कार्य में भाग नहीं लेना होगा, जिससे कंपनी के हित के दृष्टिगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाद या विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो|
- निदेशक को अपने या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों, या सहयोगियों को किसी प्रकार का अनुचित लाभ या फायदा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए और यदि कोई निदेशक इस संबंध में दोषी सिद्ध होता हों तो, उन्हें उस लाभ के बराबर की राशि कंपनी को जमा करना होगा|

7.4 **<u>कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन</u>**:

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों को कंपनी के व्यापार के लिए लागू अनुसार विविध विधिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा और किसी प्रकार के निदेश देने या निर्णय लेने के पूर्व संबंधित विधिक/नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का प्रयास करना होगा|

7.4.1 **<u>सचेतक</u>**

- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी की निगरानी तंत्र नीति (सचेतक), जो **<u>www.vizagsteel.com/insiderinl/Vigil%20mechanism%20Policy.pdf</u>** में उपलब्ध है, के अनुसार कंपनी के व्यापार हित में प्रभावित करनेवाले अनैतिक व्यवहार, धोखाधड़ी के वास्तविक या संदेहास्पद मामले, कदाचार या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता, या अन्य किसी जानकारी, जिससे किसी विधिक/नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन होता हो, पर अपने विचार व्यक्त करें|

7.4.2 ***<u>संबंधित पार्टी</u>***

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन की परिभाषा के तहत अभिप्रेत कोई भी लेनदेन और सूचित करार तथा कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति में दिए गए विवरण के अनुसार निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा मंडल या संबंधित किसी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही कोई भी लेनदेन करना होगा| संबंधित पार्टी लेनदेन नीति **<u>www.vizagsteel.com/insiderinl/RPT_Policy.pdf</u>** में उपलब्ध है|

7.5 व्यापार आचरण व नैतिक संहिता का अनुपालन

7.5.1 मंडल के सभी सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों को वार्षिक तौर पर इस संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना है और <u>परिशिष्ट-II</u> में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस संहिता अथवा इसके संशोधन की प्राप्ति की पावती देनी होगी|

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर है| इस संहिता के सिद्धांतों का अनुपालन सिर्फ मंडल के सदस्यों और प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उन्हें इसके अनुपालन हेतु सभी को प्रोत्साहन व समर्थन देना होगा|

7.5.2 इस संहिता के उल्लंघन को संगठन के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार के रूप में माना जाएगा| व्यवसायियों द्वारा नैतिक संहिता का अनुपालन बृहद मात्रा में और सामान्यतया एक स्वैच्छिक मामला है| हालाँकि, मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के किसी सदस्य व अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता, तो मंडल द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और मंडल का निर्णय ही अंतिम होगा| कंपनी, दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार रखती है|

7.6 <u>कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की विशिष्ट संहिता</u>

7.6.1 संहिता, स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण हेतु एक निर्देशिका है| स्वतंत्र निदेशकों द्वारा इन मानकों के अनुपालन और व्यावसायिक व विश्वसनीय ढंग से अपने दायित्वों की पूर्ति से निवेशक समूह, विशेषकर कम हिस्सेदारी रखनेवालों, नियामकों एवं कंपनियों को स्वतंत्र निदेशक संस्थान के प्रति विश्वास बढ़ेगा|

7.6.2 **<u>व्यावसायिक आचरण के दिशानिर्देश</u> :**

स्वतंत्र निदेशक से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी :

- नैतिक मानकों एवं सत्यनिष्ठा व विश्वसनीयता को बनाये रखना;
- अपने दायित्वों के निर्वाह के समय वस्तुपरक व रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना;
- कंपनी के हित के दृष्टिगत अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना;
- निर्धारित व संतुलित निर्णय लेने हेतु अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयुक्त समय देना व चौकसी बरतना;
- मंडल की निर्णय क्षमता में सामूहिक निर्णय के प्रति सहमति अथवा असहमति जताते समय बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से बचकर रहना, ताकि कंपनी के सर्वोच्च हित के दृष्टिगत वस्तुपरक स्वतंत्र निर्णायक क्षमता में बाधा उत्पन्न न हो;
- प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष वैयक्तिक लाभ अथवा किसी संबद्ध व्यक्ति की लाभ प्राप्ति हेतु अपने पद का दुरुपयोग न करना, ताकि कंपनी अथवा उसके शेयरधारियों को कोई हानि न पहुँचे;
- ऐसे किसी कार्य से बचना, जो वैयक्तिक स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो;
- जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, जिससे स्वतंत्र निदेशक की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचे, तो इसकी सूचना तत्काल मंडल को देना;
- कंपनी द्वारा उत्कृष्ट निगमित अभिशासन पद्धतियों के अनुपालन में सहयोग देना;

7.6.3 **<u>भूमिका एवं कार्य:</u>**

स्वतंत्र निदेशकों से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी:

- कार्यनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण मानक जैसे विशेष मुद्दों सहित मंडल के संकल्पों के लिए स्वतंत्र निर्णय में सहयोग करना;
- मंडल और प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन पर स्वतंत्र दृष्टिकोण व्यक्त करना;

- बैठकों में निर्णीत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंधन के निष्पादन की जाँच और प्रतिवेदनों का अनुश्रवण;
- वित्तीय सूचनाओं की सत्यनिष्ठा और वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों सुदृढ़ता एवं तर्कसंगतता के प्रति संतुष्ट होना;
- सभी अंशधारकों विशेषत: छोटे अंशधारकों के हितों की रक्षा करना;
- विवादित मामलों पर अंशधारकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना;
- कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंधन के प्रतिदान का उपयुक्त निर्धारण और कार्यकारी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंधन के लोगों की नियुक्तियाँ एवं जब निष्कासन आवश्यक हो, उसकी संस्तुति करना;
- अंशधारकों और प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति में कंपनी के हितों का ध्यान रखते हुए सौम्य व मध्यस्थ जैसा कार्य करना;

7.6.4 **<u>कर्तव्य:</u>**

स्वतंत्र निदेशक से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होंगी:

- समुचित ढंग से सहभागी बनना और अपने को नियमित रूप से अद्यतन करना तथा अपने कौशल व ज्ञान एवं कंपनी के बारे में स्फूर्त रहना;
- सूचनाओं के बारे में समुचित व्याख्या अथवा विस्तृत जानकारी हासिल करना और जहाँ कहीं आवश्यक हो, कंपनी के व्यय पर उपयुक्त बाह्य पेशेवरों से जानकारी व अभिमत लेना;
- निदेशक मंडल एवं सभी समितियों की, जिसके वे सदस्य हों, बैठकों में शामिल होने का प्रयास करना;
- मंडल की जिन समितियों के वे अध्यक्ष अथवा सदस्य हों, उनमें सकारात्मक व सक्रियता से भाग लेना;
- कंपनी की आम बैठकों में शामिल होने का प्रयास करना;
- कंपनी के संचालन अथवा उसकी प्रस्तावित गतिविधियों, जिन पर मंडल द्वारा विचार किया गया हो और उनका निपटारा नहीं हुआ हो, यह सुनिश्चित होने पर उन्हें जहाँ लगे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए व उसे मंडल के कार्यवृत्त में दर्ज कराना;
- कंपनी के संबंध में बेहतर जानकारी और वह जिस व्यवसाय से संबंधित हो, तत्संबंधी बाह्य वातावरण की जानकारी रखना;
- यथोचित मंडल अथवा मंडल की समितियों की कार्यवाहियों में अनावश्यक बाधा न पहुँचाना;

- पर्याप्त ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि संबंधित पार्टी लेनदेन को अनुमोदित करते समय उपयुक्त निर्णय लिया गया हो तथा स्वयं सुनिश्चित हों कि वह कंपनी के पक्ष में है;
- यह पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कंपनी में सतर्कता के पर्याप्त तंत्र मौजूद हैं और यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति इस तरह के उपयोग की पूर्वधारणा से ग्रसित नहीं है;
- अनैतिक व्यवहार, वास्तविक जालसाजी अथवा जालसाजी के संदिग्ध अथवा कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन का प्रतिवेदन देना;
- अपने प्राधिकार की सीमा में काम करना, कंपनी, अंशधारकों एवं उसके कर्मचारियों के वैधानिक हितों की रक्षा में सहयोग करना;
- वाणिज्यिक गोपनीयता, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन एवं बिक्री प्रसार की योजनाओं, मूल्य संबंधी अप्रकाशित जानकारियों, जिनके लिए मंडल का अनुमोदन अथवा आवश्यक कानून से स्पष्ट अनुमति न मिली हो, सहित गोपनीय जानकारियों की सूचना नहीं देना|

7.7 विविध मद

7.7.1 संहिता को लगातार अद्यतन बनाना

7.7.1 इस संहिता की लगातार समीक्षा और कानून, कंपनी के दर्शन, दृष्टि, व्यापार योजनाओं अथवा अन्यथा मंडल जैसे आवश्यक समझता हो, वैसे परिवर्तनों के क्रम में संहिता का संशोधन किया जाता है और ऐसे सभी संशोधन/सुधार उसमें उल्लिखित तिथि से लागू होंगे|

7.7.2 स्पष्टीकरण कैसे प्राप्त करें

मंडल का कोई सदस्य अथवा प्रबंधन का कोई वरिष्ठ प्राधिकारी, जो इस आचरण संहिता के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हो, वह निदेशक (कार्मिक)/कंपनी सचिव/निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से पदनामित किसी अधिकारी से संपर्क कर सकता है|

7.7.3 संहिता का प्रकाशन

इस संहिता और इसमें किए गए परिवर्तनों को कंपनी की बेवसाइट www.vizagsteel.com पर प्रकाशित/रखा जाएगा|

कंपनी (विशेष परिभाषा विवरण) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के अनुरूप संबंधियों की सूची

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77) के अनुरूप संबंधियों की सूची| कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का संबंधी तभी माना जाएगा, जब

ए) वे हिंदू अविभाज्य परिवार के सदस्य हों; अथवा

बी) वे पति और पत्नी हों; अथवा

सी) वह व्यक्ति कंपनी (विशेष परिभाषा विवरण) नियम, 2014 के नियम 4 में सूचित अनुसार दूसरे का संबंधी हो

कंपनी (विशेष परिभाषा विवरण) नियम, 2014 का नियम 4

संबंधियों की सूची

1. पिता - बशर्ते कि 'पिता' शब्द में सौतेला पिता शामिल हो
2. माता - बशर्ते कि 'माता' शब्द में सौतेली माता शामिल हो
3. बेटा - बशर्ते कि 'बेटा' शब्द में सौतेला बेटा शामिल हो
4. बहू
5. बेटी
6. दामाद
7. भाई - बशर्ते कि 'भाई' शब्द में सौतेला भाई शामिल हो
8. बहन - बशर्ते कि 'बहन' शब्द में सौतेली बहन शामिल हो

परिशिष्ट-2

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र

विशाखपट्टणम

मंडल के सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के लिए व्यापार आचारण व नैतिक संहिता की प्राप्ति की अभिस्वीकृति

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मंडल के सदस्यों एवं प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों के लिए व्यापार आचरण व नैतिक संहिता मुझे प्राप्त हुई और मैंने उसे पढ़ा| मैंने उपरोक्त व्यापार आचरण व नैतिक संहिता में दिये गये मानकों एवं नीतियों को समझा और मैंने समझ लिया कि मेरे कार्य से संबंधित अतिरिक्त विशेष नीतियाँ व कानून भी होंगे| मैं आगे उपरोक्त व्यापार आचरण व नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए सहमत हूँ|

मैं जानता हूँ कि यदि उपरोक्त व्यापार आचरण व नैतिक संहिता के अर्थ अथवा प्रयोग, कंपनी की किन्हीं नीतियों अथवा मेरे कार्य हेतु लागू विधिक व नियामक आवश्यकताओं के संबंध में कोई संदेह हो तो मैं कंपनी, अर्थात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र के निदेशक (कार्मिक) अथवा कंपनी सचिव से इस विश्वास के साथ कि मेरे सवाल गोपनीय रहेंगे, संपर्क कर सकता हूँ|

आगे, मैं प्रति वर्ष 31 मार्च की समाप्ति से 30 दिन के भीतर कंपनी को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित सूचना देने का वचन देता हूँ|

वचन

(प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक वार्षिक आधार पर कंपनी के मंडल सदस्यों/प्रबंधन के वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा)

मैंने, (नाम) ....., (पदनाम) ....., मंडल के सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यापार आचरण व नैतिक संहिता पढ़ी और जानकारी हासिल की तथा एतद्वारा पुष्ट करता हूँ कि मैंने 31 मार्च ..... वर्ष के दौरान संहिता का अनुपालन किया और संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया|

हस्ताक्षर:

नाम :

पदनाम :

कर्मचारी सं. :

दूरभाष :

स्थान :

दिनांक :